

337782

दिनांक ५ २०१८

जिला जल दफ्तर जगमोहन धार

विषय - जल-संयोजन योजना

ग्राम - शिवपुर

तहसील - फरमचट

रकम

रु० पै० 19,000-00

विद्यमान समीक्षा

2018

मूल्य

समाप्त के काल में

10,000-00

कुल

एस. एल. मल्ल

(हस्ताक्षर) (दिनांक)

06/11:07 Am
20.2.18
AKO

प्ररूप 2ख
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र
(राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन



नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम..... पिता/माता/

पति का नाम..... उसका डक पता.....

..... उसका नाम..... विधान सभा निर्वाचन-
क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं..... में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..... है जो विधान सभा
निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।
तारीख..... प्रस्तापक के हस्ताक्षर

भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 205-समुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के
रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम..... जगमोहन पाल पिता/माता/

पति का नाम..... धनकुधारी पाल उसका डक पता..... ग्राम-शिवपुर, पो-धबपोरवर
था. करमचट (सबरा) उसका नाम..... 205-समुआ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... 222 में क्रम सं०..... 329 पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम
उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम
इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

जगमोहन पाल

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

सं०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं०		
1	2	3	4	5

1. —	139 —	1150 —	✓ रामेश्वर पाल	रामेश्वर पाल
2. —	140 —	232 —	✓ ईश्वर दयाल पाल	ईश्वर दयाल पाल
3. —	140 —	590 —	✓ रामचन्द्र हजाम	राम चन्द्र हजाम
4. —	140 —	941 —	✓ रामविलास पाल	रामविलास पाल
5. —	140 —	951 —	✓ रामाशक्त पाल	रामाशक्त पाल
6. —	140 —	962 —	✓ योशेन्द्र पाल	योशेन्द्र पाल
7. —	139 —	1135 —	✓ विजय पाल	विजय पाल
8. —	140 —	537 —	✓ अजय पाल	अजय पाल
9. —	222 —	34 —	✓ अजय पाल	अजय पाल
10. —	222 —	317 —	✓ विजय पाल	विजय पाल

कृपया ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने.....25.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे(ग)(i)(ग)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में.....स्वतंत्र..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/ मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i).....वाज्मी.....

(ii).....कृपया और ध्यान दें.....(iii).....है।

अजय पाल

..... नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप में लिखा गया है।

(ड) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

• मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं/..... • जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो/..... राज्य के उस राज्य के/..... (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित • जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे बिहार राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 19/02/18...

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

• उन धारों को काट दें जो लागू न हों।

सूचना प्रदान है - "सामान्यतया राजनीतिक दल" निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट प्रतीक (प्रतीक और आवरण) अधिनियम, 1988 के अधिनियम निर्दिष्ट राज्य में सामान्यतया कोई राजनीतिक दल अधिनियम है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्ध दोष ठहराया गया है; या नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक २०५
- (ii) पुलिस थाना (थाने) (जिला) (जिले) (राज्य) २०५
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था २०५
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) २०५

- वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था.....शून्य
- (vi) अधिरोपित दंड [कारावास (कारवासों) की अवधि और/या जुर्माने की राशि उपदर्शित करें].....शून्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....शून्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे:हाँ/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियाँ).....शून्य
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके(जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....शून्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....शून्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....शून्य

(ख) धारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....शून्य

72) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई काम का पद धारण कर रहा है

नहीं (हाँ/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे.....शून्य

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ?नहीं (हाँ/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है.....शून्य

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ?नहीं (हाँ/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए.....शून्य

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है?नहीं (हाँ/नहीं)

-यदि हां, निरहित किए जाने की अवधि.....शून्य

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?नहीं (हाँ/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख.....शून्य

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा(संविदाएं) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेर रखता है?नहीं (हाँ/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और आस्तित्ववान संविदा(ओं) के ब्यौरे.....शून्य

- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है?...नहीं....(हाँ/नहीं)
 -यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे.....नहीं...
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है?...नहीं....(हाँ/नहीं)
 -यदि हां, निर्हरण की तारीख.....नहीं...

स्थान: मुंबई

तारीख 19/12/08

जगमोहन पांडे

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाना)

नामनिर्देशन पत्र को क्रम सं.126

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 20.12.08 (तारीख) को 11.30.08 (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्तावक जगमोहन पांडे (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख.....

जगमोहन पांडे

रिटनिंग आफिसर

*लागू होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

.....

तारीख..... रिटनिंग आफिसर

(छिद्रण).....



1271 दिनांक 19/2/18

COURT FEE

Authorization No. 736

Additional Affidavit to be submitted by candidate

विदा/पति श्री जगमोहन पांडे

जिन्होंने मे इस घोषणा पत्र को भरने के लिए

जिनकी पहचान श्री...

अधिवक्ता ने किया है।

हस्ताक्षर नोटरी...

Election to Legislative Assembly (Name of the
from 205 Bhabua Constituency.

I, Jagmohan... Pal (name of candidate), son/daughter/wife of Dhenukdhar Pal
aged years, resident of Vill. Shivpur, P.O. Shambhukhar, P.S. - Karamched,
a candidate at the above election, do solemnly affirm and state on oath as under:-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period
of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at (mention the
address of the accommodation) during the period of last 10 years
prior to the date of notification of the current election, and there are
no arrears of any dues to be paid towards rent for the
accommodation or any arrears to the agencies providing electricity,
water and telephone at the said accommodation as on (the
date should be the last date of the 3rd month prior to the month in
which the election is announced).

(iii) "No dues certificates" from the agencies concerned are attached
hereto.

VERIFICATION

I, the deponent abovenamed, do hereby verify and declare that the
above statements are correct to the best of my knowledge, and no
part of it is false.

Verified at this the 19... day of 2018



Signature of Jagmohan Pal

DEPONENT

क्र. 1272
पिता/पति को
निष्ठापूर्वक शपथ
विश्वास में इस शपथ
पत्र की सारी बातें सच हैं।
जिनकी पहचान
अधिकार ने किया है।

1. OF BIRAN
उत्तर प्रदेश
IN SCORE BHARUA
रु. 4क देखिए
COURT FEE

Authorization No 736

भारत
00000
Rs=0000100
375449
INDIA **Zero*Zero*Zero*



कृपया 3
नवीनतम
यह चरु

205 - ममुआ

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

बिहार विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क
मैं, जगमोहन पाल पुत्र/पुत्री/पत्नी बेनकुथारी आयु 47 वर्ष,
जो (डाक का पूरा पता लिखें) ग्राम - शिवपुर, पो. धवपौरवर, था. सवार (करमचट)
जिला - कैमूर का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ,
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं स्वतंत्र (उपरोक्त दल का नाम)

इस शपथ पत्र में अभ्यर्थी स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।
(यदि नहीं है उसे खटें)

(2) मेरा नाम 205 - ममुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम
मेरा भाग नं 222 के क्रम नं 319 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे 977/28 7645 संपर्क दूरभाषा संख्या/संख्याएं हैं/हैं और मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो)
है तथा (i) (ii) (iii) मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि
कोई हो) हैं/हैं।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	पति या पत्नी	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	आश्रित - 1	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	आश्रित - 2	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>
	आश्रित - 3	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>	<u>शून्य</u>



(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों)
का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया
गया है/किए गए हैं।
जगमोहन पाल

अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में दंगित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया	शून्य
-----	---	-------



अभिज्ञान पत्र

(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख (तारीखें)	<u>शून्य</u>
(ग)	अधिरोधित दंड	<u>शून्य</u>
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	<u>शून्य</u>

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुरार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - वह व्यक्ति का वह व्यक्ति है जो उत्तर लेक विनिधित्त अधिनियम, 1951 की धरा 15 के अर्थन स्पष्टकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पूरकतया दिए जाने हैं।

क्र. सं.	विवरण	लब्ध	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	58000/-	18000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	864/रि. 24/11/84 739607- 88884/54 56 म. 18/11/88 08/17 667/-	2-4	2-4	2-1	4
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जगमोहन पांडे

	विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	82-4502313 52.500/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	पांटी-2008m 9000/- लोना-5211m 5000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जिन कि वर्गीकृत का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समस्त कुल मूल्य	64167/-	42200/-	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	मैजा - शिवपुरा म.न. 310	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.6050	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की अवस्था (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	मैजा - शिवपुरा म.न. 310 मदान 0.025/0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv) आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	कुल माप)	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	7,00,000/- सात लाख	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृष्ठक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	दर	पति या पत्नी	आवित-1	आवित-2	आवित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	9.14.0 शांति - 63288 K.C.C 30,000/-	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	कोई अन्य दायित्व	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	दायित्वों का कुल योग	30,000/-	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	अन्य आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०
	अन्य आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०	२०५०



वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य-	शून्य-	शून्य-	शून्य-
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य-	शून्य-	शून्य-	शून्य-	शून्य-
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य-	शून्य-	शून्य-	शून्य-
धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य-	शून्य
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य-	शून्य-	शून्य-	शून्य-
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य-	शून्य
विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य-	शून्य-	शून्य-	शून्य-
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य-	शून्य-	शून्य-	शून्य-
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य-	शून्य-	शून्य-	शून्य-
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादार्थन है, यदि हाँ तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य-	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी गृहवि

"(9क) आय के (स्रोतों) के ब्यौरे:

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी गृहवि

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

इन्टर उतिणी, सरस्वती इन्टर कॉलेज, वाराणसी यू.पी.

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

अभ्यर्थी का नाम जगमोहन पाल

श्री/श्रीमती/कुमारी

श्री



	डाक का पूरा नाम	गाम-शिवपुर, भा. इन्सुल्ट, पी. चण्डिका				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	205- ममुडा (बिहार)				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र				
5.	(i) ऐसे संबद्ध मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य				
7.	...	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1,11,167/-	42,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां					
	I. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	 की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III. अनुमानित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	वर्तमान बाजार कीमत	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	₹०५				
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	7,00,000/-	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	30,000/-	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	30,000/-	₹०५	₹०५	₹०५	₹०५
11.	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता :- इंटर मिडियट उत्तिर्ण, सरकारी इंटर कॉलेज वाराणसी (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					₹०५

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।



जगन्मोहन पांडे

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 173(क))

मैं जगमोहन पाठ जो विधान सभा में एक स्थान को भरने के लिए
अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं
विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की सम्प्रभुता
और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूँगा।

जगमोहन पाठ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती जगमोहन पाठ आज दिनांक 20/11/2018 माह
2018 को निर्वाची पदाधिकारी, 205-मुरा विधान सभा आम निर्वाचन क्षेत्र
मुरा के कार्यालय प्रकोष्ठ में 12:30h बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ
ली/ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

20/11/18
(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम, पदनाम और मुहर।

जगमोहन पाठ